

न्यायालय, समाहता-सह-जला दण्डाधिकारा, खगडिया ।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगडिया.....सा०.....,सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:- 132/2017

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
22.12.2017	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत खगडिया (गंगौर) थाना में दर्ज कांड संख्या-664/2017 दिनांक 27.09.2017 में जप्त किये गए देशी महुआ शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगडिया के पत्रांक 4318/हि०शा० दिनांक 15.12.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगडिया (गंगौर) का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई कुल-25 लीटर देशी महुआ शराब की कुल मात्रा में से 01 लीटर शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु उत्पाद अधीक्षक, खगडिया को भेज दिया गया है, जबकि शेष-24 लीटर देशी महुआ शराब खगडिया (गंगौर) थाने के मालखाना में रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खगडिया (गंगौर) थाने के मालखाना में रखी गई कुल-24 लीटर देशी महुआ विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगडिया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए खगडिया थाना कांड संख्या-664/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल-24 लीटर देशी महुआ शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगडिया/थानाध्यक्ष, खगडिया (गंगौर)/उत्पाद अधीक्षक, खगडिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	

समाहता, खगडिया ।



समाहता, खगडिया ।


27/12/17

आदेश की क्रम
सं० और तारीख
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02.

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख-सहित
3.

डी० बी० नं०.....493...../विधि, दिनांक 22/12/2017
प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया
/थानाध्यक्ष, खगड़िया (गंगौर) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ
प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की
जाय।


22/12/17
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।
23/12/17